डिकरी व मुकदमें इब्तादाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आए.ए.एस

मु0 उनवान मुकेश कुमार बनाम राज. सरकार वगै0

दावा बाबत् 88,89,,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 97/2023

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कताई रू–ब–रू ....– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दठ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी खाता स. 320 के ख.न. 1031 रकवा 0.19, 1171 रकवा 0.21, 1174 रकवा 0.42, 1189 रकवा 0.25, 645 रकवा 0.57 किता 5 कुल रकवा 1. 64 हैक्ट. वाके ग्राम पीगौंरा तहसील नदबई में स्थित है पर राजस्व रिकॉर्ड में वादी मुकेश कुमार दत्तक पुत्र चरनलाल अंकित किया जाता है। तदुनसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

बैज – मुबलिग ––––––– बावत ––––––––––– खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ––––––––––फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व सुलयाबी तक –––––––––– की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 20.01.2025 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत– [signature] 20/1/25

सहायक कलक्टर नदबई जिला भरतपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:45:39 IST
Reason: SelfAttested

1. मुकेश दत्तक पुत्र चरनलाल जाति ब्राम्हण निवासी पींगौरा तहसील नद
जिला भरतपुर।

— वादी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

— प्रतिवादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:45:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 97/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/180
किस्म दावा 88.89.188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 20.01.2025

1. मुकेश दत्तक पुत्र चरनलाल जाति ब्राम्हण निवासी पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

— वादी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

— प्रतिवादी

उपस्थित श्री निर्भयसिंह एड.(वादी की ओर से)

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

1. यह कि विवादित आराजी खाता स. 320 के ख.न. 1031 रकवा 0.19, 1171 रकवा 0.21, 1174 रकवा 0.42, 1189 रकवा 0.25, 645 रकवा 0.57 किता 5 कुल रकवा 1.64 हैक्ट. वाके ग्राम पीगौंरा तहसील नदबई में स्थित है।
2. यह कि वादी द्वारा दिनांक 17.07.1996 को रजि. गोदनामा जरिये अपने प्राकृतिक पिता रासहाय के स्थान पर दत्तक पुत्र चरनलाल के यहां गोदचला गया था तथा सभी आराजीयात पर मुझ वादी के पिता का नाम रामसहाय स्थान पर दत्तक पिता चानलाल अंकित किया गया था जो आज तक बदस्तेर चला आ रहा है। परन्तु सहवन से विवादित आराजी पर वादी के प्राकृतिक पिता का नाम रामसहाय दर्ज रिकॉर्ड चला आ रहा हैं जिससे मे वादी विवादित आराजी से कृषि [illegible] द्वारा आ रही योजनाओ का लाभ नही मिल पा रहा है। [illegible] वादी विवादित आराजी पर प्राकृतिक पिता रामसहाय के स्थान पर [illegible] चरनलाल का नाम दर्ज करापाने का अधिकारी है। अन्त [illegible] वादी ने प्रार्थना कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Gangadhar Meena
Date: 2025.06.23 14:45:39 IST
Reason: SelfAttested

20/1/25

विवादित आराजी खाता स. 320 में वादी के पिता रामसहाय के अंकन को दुरूस्त किया जाकर दत्तक पिता चरनलाल अंकित किया जावें व उसी अनुरू रिकॉर्ड में अंकन किया जावें।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार पैराकोर सरकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कि गई जो अपने पत्रांक राजस्व/2025/ 29 दिनांक 09.01.2025 से भिजवाई गयी। चूकि वाद शुद्धि के बाबत है इसलिए सिधी बहस सुनी गयी।

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2075–78 वाके ग्राम पींगोरा, नकल नामांन्तकरण स. 1235 वाके ग्राम पीगोरा व नकल गोदनामा दिनांक 17.07.1996, नकल फोटो प्रति आधार कार्ड , राशन कार्ड, बिजली बिल प्रति, व अन्य दस्तावेजात पेश किये गये।

उभयपक्षकारान की बहस एकतरफा सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि वादी द्वारा प्रस्तुत हाल जमाबंदी संवत 2075–78 में विवादित आराजी खाता स. 320 के ख.न. 1031 रकवा 0.19, 1171 रकवा 0.21, 1174 रकवा 0.42, 1189 रकवा 0.25, 645 रकवा 0.57 किता 5 कुल रकवा 1.64 हैक्ट. वाके ग्राम पीगौंरा तहसील नदबई में स्थित है। जिसमें वादी मुकेश कुमार पुत्र रामसहाय हिस्सा पूर्ण जाति ब्राम्हण दर्ज रिकॉर्ड है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत रजि. गोदनामा दिनांक 17.07.1996 पेश किया गया जो वादी द्वारा दिनांक 17.07.1996 को रजि. गोदनामा जरिये अपने प्राकृतिक पिता रासहाय के स्थान पर दत्तक पुत्र चरनलाल के यहां गोदचला गया था उक्त गोदनाम के आधार पर विवादित आराजी वादी के पिता का नाम रामसहाय स्थान पर दत्तक पिता चरनलाल अंकित किया गया। जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत नकल नामान्तकरण स. 1235 से साबित है। तथा तहसीलदार नदबई के [illegible] आराजी पर पर वादी मुकेश कुमार पुत्र रामसहाय खातेदार दर्ज रिकॉर्ड [illegible] में अंकित वादी के प्राकृतिक पिता रामसहाय है। वादी मुकेश कुमार [illegible] उक्त आराजी भूमि उसके सगे ताऊ पिता के बड़े भाई को दिनांक 08.0[illegible]96 को हुये बयनामा के आधार पर प्राप्त हुई है। बाद में दिनांक 17.07.96 को वादी के ताऊ श्री चरनलाल पुत्र शिवलाल जाति ब्राम्हण सा. पिगौरा द्वारा जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:45:39 IST
Reason: SelfAttested

20/1/25

रजि. गोदनामा अपनी सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति का उसे वारिस बना दिया लेकिन विक्रय पत्र में क्रेता का नाम मुकेश कुमार पुत्र रामसहाय का अंकन होने की वजह से नामा0 व जमाबन्दियो में इसी नाम का अमल चला आ रहा है। तथा अन्य दस्तावेजातो में वादी के राजस्व रिकॉर्ड में मुकेश कुमार दत्तक पुत्र चरनलाल किया जाना उचित है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत साबिक रिकॉर्ड एवं तहसीलदार नदबई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वादीगण का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खाता स. 320 के ख.न. 1031 रकवा 0.19, 1171 रकवा 0.21, 1174 रकवा 0.42, 1189 रकवा 0.25, 645 रकवा 0.57 किता 5 कुल रकवा 1.64 हैक्ट. वाके ग्राम पीगौरा तहसील नदबई में स्थित है पर राजस्व रिकॉर्ड में वादी मुकेश कुमार दत्तक पुत्र चरनलाल अंकित किया जाता है। तदुनसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.1.25 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

20/1/25

(गंगाधर मीणा) (R.A.S.)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर नदबई
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:45:39 IST
Reason: SelfAttested